प्रेस नोट   पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद   दिनांक 21.12.2024

थाना लोनी पुलिस द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 10.09.2024 को थाना लोनी पर वादिया द्वारा तहरीर दी गई कि वादिया की नाबालिग पुत्री उम्र करीब 15 वर्ष को पप्पू पुत्र वकील निवासी ग्राम चानन सिसवा थाना सलखुआ जिला सहरसा बिहार द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले जाना व शिकायत करने पर वादिया के साथ अभियुक्त के परिजनों द्वारा गाली-गलौच करना । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी पुलिस द्वारा तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं पीडिता की बरामदगी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया। तत्पश्चात दिनांक 20.12.2024 को पीड़िता को बरामद कर उक्त मुकदमें में पीड़िता का मेडिकल परीक्षण एवं धारा 180 BNSS की कार्यवाही की गयी व धारा 183 BNSS के बयानों की कार्यवाही की जा चुकी है। धारा-183 BNSS के बयानों के आधार पर मुकदमे में धारा 87/65(1) BNS व 3/4 पोक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी।

आज दिनांक 21.12.2024 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त पप्पु पुत्र वकील निवासी ग्राम चानन सिसवा थाना सलखुआ जिला सहरसा बिहार, उम्र करीब 23 वर्ष को चौकी कस्बा क्षेत्र थाना लोनी से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं ग्राम चानन सिसवा थाना सलखुआ जिला सहरसा बिहार का रहने वाला हूँ मै अपने बहन के यहाँ न्यू विकास नगर लोनी में रहकर बेलदारी का काम करता था मेरी बहन के मौहल्ले में ही रहने वाली पीड़िता से मेरी पिछले 01 वर्ष से जान पहचान थी। हम दोनों एक दूसरे बातचीत करते थे। मैं पीड़िता को बहला फुसलाकर अपने साथ बिहार ले गया था और मैंने उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध बना लिये थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

पप्पु पुत्र वकील निवासी ग्राम चानन सिसवा थाना सलखुआ जिला सहरसा बिहार, उम्र करीब 23 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना लोनी पर 01 अभियोग पंजीकृत है अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

थाना लोनी पुलिस टीम।

थाना अंकुर विहार पुलिस द्वारा वाहन चोरी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 03 मोटर साइकिल बरामद ।

आज दिनांक 21.12.2024 को थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर वाहन चोरी करने वाले 02 अभियुक्तों 1. कमल कुमार पुत्र रघुवीर सिंह निवासी अम्बेडकर बस्ती सेक्टर-1 आरके पुरम थाना सेक्टर-12 आरके पुरम साउथ दिल्ली 2. निशान्त पुत्र प्रवीण निवासी अम्बेडकर बस्ती सेक्टर-1 आरके पुरम थाना सेक्टर-12 आरके पुरम साउथ दिल्ली को गिरफ्तार किया गया अभियुक्तों के कब्जे/निशांदेही पर चोरी की 03 मोटर साइकिल बरामद हुई । गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध थाना अंकुर विहार पर चोरी के वाहन बरामदगी के संबंध में धारा 317(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है । अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तों ने पूछताछ करने पर बताया कि हम वाहन चोरी कर उन्हें सस्ते दामों पर राह चलते लोगों को बेच देते हैं और पैसा आपस में बांट लेते है । ये मोटरसाइकिलें भी हमने दिल्ली से अलग अलग जगहों से चोरी की थी जिन्हें हमने बेचने के लिए अभी तक छिपाकर रखा हुआ था । आज हम इन मोटरसाइकिलों को बेचने की फिराक में ग्राहकों की तलाश में निकले थे कि पुलिस चेकिंग में पकड़े गये ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता –

1. कमल कुमार पुत्र रघुवीर सिंह निवासी अम्बेडकर बस्ती सेक्टर-1 आरके पुरम थाना सेक्टर-12 आरके पुरम साउथ दिल्ली, उम्र करीब 27 वर्ष ।
2. निशान्त पुत्र प्रवीण निवासी अम्बेडकर बस्ती सेक्टर-1 आरके पुरम थाना सेक्टर-12 आरके पुरम साउथ दिल्ली, उम्र करीब 19 वर्ष ।

बरामदगी का विवरण-

चोरी की 03 मोटर साइकिल बरामद ।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्तों के विरुद्ध दिल्ली में वाहन चोरी के 03 अभियोग पंजीकृत हैं तथा उक्त बरामदगी के संबंध में थाना अंकुर विहार पर 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है । अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

गिरफ्तार एवं बरामदगी करने वाली पुलिस टीमः-

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम ।

थाना नन्दग्राम पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त की धारा 14(1) के अन्तर्गत की गई कुर्की की कार्यवाही, 09 करोड 29 लाख 40 हजार की संपत्ती कुर्क

संक्षिप्त विवरण- गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त संजय सूरी पुत्र स्व0 श्री किशोरीलाल सूरी निवासी जे-232 पटेलनगर प्रथम थाना सिहानी गाजियाबाद, हाल पता- दुकान नं 78/75 मेडिकल मार्किट नयी बस्ती घण्टाघर थाना कोतवाली नगर जनपद गाजियाबाद अपने सह अभियुक्त 2. ज्योति सूरी पत्नी संजय सूरी निवासी उपरोक्त द्वारा अपना एक गैंग बनाकर जनता से मारपीट, धोखाधडी करना, फर्जी दस्तावेज तैयार कर दस्तावेजो का

दुरुपयोग करना, मादक पदार्थो की तस्करी करना, महिलाओ के साथ छेडछाड, रंगदारी मांगना, लोक सेवक के कार्य मे बाधा डालना, सदोष अवरोध करना, गाली गलोच कर जान से मारने की धमकी देना आदि जैसे अपराध कारित कर करोडो की सम्पत्ती अर्जित की गयी है। अर्जित की गयी धनराशि से अपने मंहगे शौक पूरे करने लगा जैसे मंहगे कपडे, महंगे जूते, महंगे होटलों में साथियो के साथ शराब का सेवन करना एवं भोजन करने का शौक पूरे करने हेतु अन्य लोगो के साथ सुसंठित गैंग स्थापित कर लिया। जिसका स्वंय गैंग लीडर अभियुक्त संजय सूरी पुत्र किशोरीलाल सूरी निवासी जे0 232 पटेल नगर प्रथम थाना सिहानीगेट कमिश्नरेट गाजियाबाद हाल पता दुकान न0 78/85 मेडीकल मार्केट नई बस्ती घंटाघर कोतवाली नगर कमिश्नरेट गाजियाबाद है। अभियुक्त संजय सूरी वर्ष 1997 से अपराध में लिप्त होकर अवैध धन एवं सम्पत्ती अर्जित की है तथा अपराध से अर्जित धन से अभियुक्त संजय सूरी उपरोक्त द्वारा अपने व अपनी पत्नी गैंग सदस्य ज्योति सूरी के नाम से संपत्तिया अर्जित की गयी है। अभियुक्त थाना सिहानी गेट से हिस्ट्री शीटर भी है, जिसका **एच0एस0 नं0 126ए** है। अभियुक्त संजय सूरी उपरोक्त व इसकी पत्नी ज्योति सूरी का आय का अन्य कोई श्रोत नही है। अभियुक्त संजय सूरी उपरोक्त द्वारा गैंग लीडर होते हुए अवैध क्रिया कलाप कर सम्पत्ती अर्जित की गयी थी।

<u>अपराधिक इतिहास अभियुक्त संजय सूरी उपरोक्त-</u>

1.थाना सिहानी गेट पर कुल 05 अभियोग।
2.थाना कोतवाली नगर पर 05 अभियोग।
3.थाना कविनगर पर 01 अभियोग।
4. थाना मधुबन बापूधाम पर 01 अभियोग।

<u>आपराधिक इतिहास अभियुक्ता ज्योति सूरी उपरोक्त-</u>

1. थाना सिहानी गेट पर कुल 02 अभियोग।
2. थाना कोतवाली नगर पर कुल 01 अभियोग।
3. थाना कविनगर पर कुल 01 अभियोग।

अभियुक्त संजय सूरी उपरोक्त के विरुद्ध **कुल 12 अभियोग** मारपीट, धोखाधडी करना, फर्जी दस्तावेज तैयार कर दस्तावेजो का दुरुपयोग करना, मादक पदार्थो की तस्करी करना, महिलाओ के साथ छेडछाड, रंगदारी मांगना, लोक सेवक के कार्य मे बाधा डालना, सदोष अवरोध करना, गाली गलोच कर जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में पंजीकृत है। इस गैंग पर अंकुश लगाने हेतु थाना सिहानी गेट पर मु0अ0सं0 502/2024 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्ध समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 पंजीकृत हुआ है।

<u>कार्यवाही का विवरण</u>- श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय कमिश्नरेट गाज़ियाबाद के आदेशानुपालन कुख्यात अपराधी संजय सूरी के विरुद्ध दिनांक 23.09.24 को थाना सिहानी गेट कमिश्नरेट गाजियाबाद पर पंजीकृत गैंगेस्टर अधिनियम की प्रथम सूचना रिपोर्ट के क्रम में आदेश न्यायालय पुलिस आयुक्त महोदय कमिश्नरेट गाजियाबाद वाद संख्या 10/24 आदेश धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम 1986 के अन्तर्गत अभियुक्त संजय सूरी उपरोक्त द्वारा अपराध करके अर्जित की गयी अवैध धन सम्पत्ति की कुर्की की कार्यवाही प्रचलित है।

<u>कुर्की की गयी सम्पत्ति (चल/ अचल) का विवरण –</u>

1 सालिम भवन नं0 जे-232 आवासीय कालोनी पटेलनगर ब्लॉक जे सैक्टर-7 जीएमपी गाजियाबाद , क्षेत्रफल- 91.52 वर्ग मीटर , कीमल लगभग- 2 करोड 50 लाख रुपये।

2 व्यावसायिक सम्पत्ति ग्राउंड फ्लोर निर्मित दुकान नं0 1 , भवन नम्बरी नगर निगम 78 , पुराना नं0 85, राईट गंज नई बस्ती गाजियाबाद , क्षेत्रफल- 11.79 वर्ग मीटर, कीमत लगभग -70लाख।

3 व्यावसायिक वी-कोड- 0049, पेज नं 32 दूकानं 4, पुराना नं0 129, ग्राउंड फ्लोर छत रहित , राईट गंज पश्चिम नई बस्ती गाजियाबाद , क्षेत्रफल – 12.23 वर्ग मीटर, कीमत लगभग -75 लाख।

4 व्यावसायिक सम्पत्ति ग्राउंड फ्लोर निर्मित दुकान नं0 3, भवन नम्बरी नगर निगम 78, पुराना नं0 85 , राईट गंज नई बस्ती गाजियाबाद , क्षेत्रफल- 7.18 वर्ग मीटर, कीमत लगभग -41 लाख।

5 आवासीय भवन नं0 केएम 127 कविनगर राजनगर , क्षेत्रफल- 167.22 वर्ग मीटर, कीमत लगभग- 3 करोड 50 लाख।

6 व्यावसायिक भवन यूजी 32 अपर ग्राउंड फ्लोर उर्बिट प्लाजा प्लाट नं0 सी-02 क्रासिंग रिपब्लिक डूंडाहेरा एन-24, गाजियाबाद , क्षेत्रफल- 40.88 वर्ग मीटर, कीमत लगभग -75 लाख।

7 कॉन्वेनिऐट शॉप (कॉमर्शियल) वार्ड नं0 वी-कोड 0140 यूजीएफ-4ए अपर ग्राउंड फ्लोर श्री स्टोरी क्रोसिंग प्लाजा जीएच प्लाट नं 7 टाउनशिप क्रासिंग रिपब्लिक डूंडाहेरा गाजियाबाद, क्षेत्रफल- 15.97 वर्ग मीटर कीमत लगभग -30 लाख।

8 कॉन्वेनिऐट शॉप (कॉमर्शियल) वार्ड नं0 वी-कोड 0140 यूजीएफ-4ए अपर ग्राउंड फ्लोर श्री स्टोरी क्रोसिंग प्लाजा जीएच प्लाट नं 7/2 टाउनशिप क्रासिंग रिपब्लिक डूंडाहेरा गाजियाबाद, क्षेत्रफल- 15.97 वर्ग मीटर कीमत लगभग -38 लाख।

9 टीवीएस जूपिटर बीएस-4, रजि नं0 UP 14 EE 0961 कीमत लगभग 40 हजार रुपये।

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम-

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम कमिश्नरेट गाजियाबाद

थाना लिंक रोड पुलिस टीम द्वारा पुलिस मुठभेड के दौरान फरार 01 वाँछित अभियुक्त गिरफ्तार ,कब्जे से पुलिस मुठभेड की घटना के दौरान प्रयुक्त 01 अवैध तमन्चा, 02 जिन्दा कारतूस, चोरी की 01 मोटर साइकिल तथा चैन स्नैचिंग/छिनैती/झपटमारी व चोरी से सम्बन्धित कुल 4500/- रूपये बरामद।

दिनांक 20/21.12.2024 को थाना लिंक रोड पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर दिनांक 28.09.2024 को थाना लिंक रोड़ क्षेत्र में हुई पुलिस मुठभेड के दौरान मौके से फरार एवं चैन स्नैचिंग/छिनैती/झपटमारी, चोरी आदि की घटनाओं में वाँछित 01 शातिर अभियुक्त लोकेश हड्डी पुत्र पिंकी निवासी मछली वाली गली सीमापुरी थाना सीमापुरी दिल्ली हाल निवासी ए-4 नन्दनगरी गुल्फराज का मकान न0 145 थाना नन्दनगरी दिल्ली उम्र 26 वर्ष को रामलीला ग्राउण्ड पानी की टंकी के सामने से पुलिस मुठभेड की घटना के दौरान प्रयुक्त 01 अवैध तमन्चा, 02 जिन्दा कारतूस, चोरी की 01 मोटर साइकिल तथा चैन स्नैचिंग/छिनैती/झपटमारी व चोरी से सम्बन्धित कुल 4500/- रूपये सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त लोकेश हडडी पुत्र पिंकी उपरोक्त के विरुद्व धारा - 317(2) बीएनएस व 3/25/27 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण

गिरफ्तार अभियुक्त लोकेश उर्फ हड्डी उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आए कि अभियुक्त उपरोक्त द्वारा थाना लिंक रोड, इन्दिरापुरम, कौशाम्बी में चैन स्नैचिंग/ मोबाइल छिनैती/ झपटमारी की कई घटनाएं कारित की गई है। अभियुक्त से जो चोरी की मोटर साइकिल व 4500/- रुपये बरामद हुए है वे इन्हीं घटनाओं से सम्बन्धित है तथा दिनांक

28.09.2024 को थाना लिंक रोड़ क्षेत्र में हुई पुलिस मुठभेड के दौरान मौके से फरार अभियुक्त उपरोक्त से जो 01 अवैध तमन्चा व 02 जिन्दा कारतूस बरामद हुए है वे उसी पुलिस मुठभेड की घटना से सम्बन्धित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

लोकेश हडडी पुत्र पिंकी निवासी मछली वाली गली सीमापुरी थाना सीमापुरी दिल्ली हाल निवासी ए-4 नन्दनगरी गुल्फराज का मकान न0 145 थाना नन्दनगरी दिल्ली उम्र 26 वर्ष।

बरामदगी का विवरण

पुलिस मुठभेड की घटना के दौरान प्रयुक्त 01 अवैध तमन्चा, 02 जिन्दा कारतूस, चोरी की 01 मोटर साइकिल तथा चैन स्नैचिंग/छिनैती/झपटमारी व चोरी से सम्बन्धित कुल 4500/- रूपये बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

गिरफ्तार अभियुक्त लोकेश हडडी पुत्र पिंकी उपरोक्त के विरुद्ध दिल्ली-एनसीआर व गाजियाबाद के विभिन्न थानों में चोरी, चैन स्नैचिंग/ मोबाइल छिनैती/ झपटमारी, आर्म्स एक्ट, जुआ अधिनियम आदि से सम्बन्धित 14 अभियोग पंजीकृत हैं तथा अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम

थाना लिंक रोड पुलिस टीम।